

प्रेस नोट संख्या- 21

दिनांक- 09.09.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

**“ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस द्वारा 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में संदिग्धों की चेकिंग व अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत दिनांक 09.09.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त प्रभाकर सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम गाजनपुर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सं० UP36U9210 के कागज मांगने पर दिखा न सका। तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

- प्रभाकर सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम गाजनपुर थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी उम्र करीब 25 वर्ष।

#### **बरामदगी-**

- 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

#### **पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

- मु०अ०सं० 138/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।
- टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सं० UP36U9210 ( धारा 207 एमवी एक्ट)

#### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. उ०नि० बृजेश कुमार यादव थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।
2. का० सौरभ वर्मा थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।
3. रि०का० रामजी तिवारी थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु०अ०सं० 130/24 धारा 127(2), 132, 189(2), 189(3), 191(2), 351(2), 352 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक जनपद अमेठी।